







अंचल कार्यालय, महागामा।

आदेश फलक

राजस्व विविध वाद अभिलेख सं०-...०!./2022-23


क्रमांक एवं दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	की गयी कार्रवाई
1	2	3
06.04.2022	<p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा-खदहरामाल, थाना नं०-720 के गैरमजरुआ खाता सं०-57 दाग नं०-817 कुल रकवा 01-11-07 धूर किस्म गोचर भूमि का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदनानुसार मौजा-खदहरामाल थाना सं०-720 गैरमजरुआ खाता सं०-57 रकवा 01-11-07 धूर किस्म गोचर के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर योगेन्द्र प्रसाद भगत पिता-स्व० डोमन भगत साकिन-डुमरिया द्वारा ईट बनाने का कार्य तथा ईट भट्टा लगाया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों द्वारा पूछ-ताछ के क्रम में बताया गया कि उक्त ईट भट्टा का निर्माण व्यवसायिक उपयोग हेतु किया गया है।</p> <p>उपरोक्त व्यक्ति को दिनांक 13.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त भूमि पर ईट निर्माण से संबंधित सभी कागजात यथा अनुज्ञप्ति, कोयला उपयोग से संबंधित कागजात आदि प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित</p> <p> 06/04/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p> <p> 06/04/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p>	
13.04.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। श्री योगेन्द्र प्रसाद भगत द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि पन्द्रह दिनों के अन्दर उनके द्वारा ईट भट्टा खाली कर दिया जायेगा।</p> <p>लेखापित</p> <p> 13/04/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p> <p> 13/04/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p>	
16.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच प्रतिवेदन की माँग करें कि श्री योगेन्द्र प्रसाद भगत द्वारा प्रश्नगत भूमि से ईट का भट्टा हटाया गया है अथवा नहीं।</p> <p>लेखापित</p> <p> 16/12/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p> <p> 16/12/2022</p> <p>अंचल अधिकारी, महागामा।</p>	

23.12.2022


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-खदहरामाल के दाग सं०-817 से श्री योगेन्द्र प्रसाद भगत पिता-स्व० डोमन भगत सा०-डुमरिया द्वारा ईट का भट्टा हटा लिया गया है तथा वर्तमान में जमीन खाली है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित



अंचल अधिकारी,
महागामा।



अंचल अधिकारी,
महागामा।